भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1101

सोमवार, 10 फरवरी, 2025/21 माघ, 1946 (शक)

असम में बेरोजगारी दर

1101. मोहम्मद रकीबुल हुसैन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दिसंबर, 2024 के सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी डेटाबेस 'भारत में बेरोजगारी दर' से पता चला है कि धुबरी एचपीसी सहित असम के विभिन्न जिलों में अनुमानित बेरोजगारी दर बढ़ गई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्यों सहित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले कुछ वर्षों में असम के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कार्यरत लोगों की संख्या में काफी गिरावट आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अनुमानित श्रम भागीदारी दर में भी गिरावट आई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं या किए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): रोजगार और बेरोजगारी पर आधिकारिक डेटा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से एकत्र किया जाता है, जो 2017-18 से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित किया जाता है। सर्वेक्षण की अवधि हर साल जुलाई से जून तक होती है।

नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, असम राज्य की 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति के आधार पर अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) 2019-20 में 7.9% से घटकर 2023- 24 में 3.9% हो गई है।

वर्ष 2017-18 और 2023-24 के लिए असम के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति के आधार पर अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) निम्नानुसार हैः

वर्ष	**डब्ल्यूपीआर (% में)**	
	ग्रामीण	शहरी

2017-18	43.8	42.8
2023-24	66.1	51.6

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई

आंकड़े दर्शाते हैं कि असम के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वर्ष 2017-18 से 2023-24 के दौरान रोजगार को दर्शाने वाला कामगार जनसंख्या अनुपात में वृद्धि हुई है।

नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, असम राज्य की 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति के आधार पर अनुमानित श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) 2019-20 में 46.9% से बढ़कर 2023- 24 में 66.9% हो गई है।

रोजगार सृजन के साथ-साथ नियोजनीयता में सुधार करना सरकार की प्राथमिकता है। विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों जैसे: प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), स्टैंडअप इंडिया, दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई), मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया आदि के माध्यम से रोजगार के अवसरों का विस्तार करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं जो पूंजीगत व्यय में वृद्धि के साथ-साथ रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास करते हैं। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

इसके अलावा, सरकार ने बजट 2024-25 में 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 साल की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा प्रदान करने के लिए 5 योजनाओं और पहल संबंधी प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा की है।

*****